

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी क्षेत्र, बवा दायपुर अटल नगर,
जिला-दायपुर (छ.ग.)

क्रमांक ६६९ /एफ-७-१०१/३१/एस-२/२०२०,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक ८/०२/२०२२

मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा क्षेत्र,
जल संसाधन विभाग,
अंबिकापुर (छ.ग.)

विषय :- सूरजपुर जिले के विकासखण्ड-प्रतापपुर अंतर्गत रैमा जलाशय का नवीनीकरण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ.का पत्र क्रमांक-२१७/बो.प्र./प्रशा.स्वी./२०२०-२१/१०३९९, दिनांक २६.११.२०२०.

—००—

राज्य शासन एतद् द्वारा सूरजपुर जिले के विकासखण्ड-प्रतापपुर अंतर्गत रैमा जलाशय का नवीनीकरण कार्य हेतु ₹.२३७.१७ लाख (रुपये दो करोड़ सौतीस लाख सत्रह हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना से सिंचाई में हो रही 142 हेक्टेयर में कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र 255 हे. में सिंचाई होगी।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका २.००६ के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-४१, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, ४७०२-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {१०१} सतही जल, ०१०२ अनुसूचित जनजाति उपयोजना (३८२८) लघु सिंचाई योजना #९७ निर्माण कार्य, ००३ बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश २५/२०१२ अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक ०३.०१.२०२२ द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में भित्तिव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

१० FEB 2022

नक्षा

छत्तीसगढ़ के दायपाल के नाम से
तथा आदेशाब्दार

RWA
८/०२/२०२२
(प्रैमलिंग घोष्ठ)

अवट सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय संसाधन विभाग

पृ.क्र. 610 / एफ-7-101/31/एस-2/2020,

अटल नगर, दिनांक 07/02/2022

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मंडल अंबिकापुर, जिला-सरगुजा।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग सूरजपुर, जिला-सुरजपुर।
15. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Om
07/02/2022
अवृद्ध सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
HR